आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	1	

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या– 04/2016–17

राज्य सरकार –बनाम– नाजीर हुसैन एवं अन्य

–: आदेश :–

15.07.2022

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 1448/अप0शा0, दिनांक 30.06.2016 से बरहरवा थाना कांड संख्या 41/16, दिनांक 21.04.2016 धारा 420, 120(बी), 34 भा0द0वि0 एवं 07 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत ट्रक संख्या WB57C-1595 एवं ट्रक संख्या WB93-0444 तथा दोनों ट्रकों पर 400–400 बोरा करके कुल 800 बोरा लगभग 400 (चार) क्वींटल चावल को राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः– दिनांक 21.04.2016 को गुप्त सूचना के आधार पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरहरवा ने बरहरवा थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के सहयोग से ट्रक संख्या WB57C-1595 एवं ट्रक संख्या WB93-0444 को भारतीय खाद्य निगम गोदाम साहेबगंज से प्राप्त किये गये प्रत्येक ट्रक में चार–चार सौ बोरा चावल लोड कर बंगाल ले जाने के क्रम में बंगाल बोर्डर से करीब आधा किलोमीटर पहले ग्राम महतापुर के पास एन0एच0–80 के सड़क पर पकड़ा। उक्त दोनो ट्रकों पर लदे 400–400 बोरा चावल को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरहरवा द्वारा विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए जप्त किया गया तथा जप्त दोनों ट्रकों को चावल के सुरक्षा हेतु बरहरवा थाना परिसर में रखा गया। इस संबंध में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरहरवा के लिखित आवेदन के आधार पर 1. ट्रक संख्या WB57C-1595 के मालिक नाजीर हुसैन, पिता–बहार अली शेख, 2. चालक सैदुल आलम, पिता–स्व0 फिराजुद्दीन शेख, दोनों सा0–हिजोलतला, थाना–रामशेरगंज, जिला–मुर्शिदाबाद (प0बं0), 3. खलासी नुरइस्लाम, पिता–स्व0 इसमाईल शेख, सा0–पोस्ट ऑफिस पाड़ा, थाना–पोस्टमनगर, जिला–मालदा (प0बं0), 4. ट्रक संख्या WB93-0444 के मालिक आलम शेख, पिता–अरसद अली, सा0–रतनपुर उत्तरपाड़ा, 5. चालक अलीउल शेख, पिता–अजीजुल शेख, 6. खलासी नेकबो शेख, पिता–अब्दुल मन्नान, दोनों सा0–रतनपुर तीनों थाना–समशेरगंज, जिला–मुर्शीदाबाद (प0बं0) एवं 7. शंकर प्रसाद साह, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता, राजस्व जिला साहेबगंज स्थायी पता–मिर्जानहाट, अलीगंज, गुलाबीबाग, थाना–मुजाहिदपुर, जिला–भागलपुर (बिहार) के विरूद्ध धारा–420/120बी/34 भा0द0वि0 एवं 07 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कांड दर्ज कराया गया।

विपक्षीगण को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत। जप्त चावल को बिक्री कर बिक्री मूल्य जिला नजारत में जमा करने हेतु प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरहरवा को निदेश दिया गया।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरहरवा के द्वारा पत्रांक 449/आ0, दिनांक 05.07.2017 से 400 क्वींटल चावल का बिक्री मूल्य 3,57,340.00 (तीन लाख सनतावन हजार तीन सौ चालीस) रूपये जिला आपूर्ति शाखा, साहेबगंज में जमा करते हुए नाजीर रसीद संख्या 1311077 दिनांक 05.07.2017 के साथ प्रतिवेदन प्राप्त।

विपक्षी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षीगण कारण पृच्छा के साथ उपस्थित। विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बयान में कहा गया कि जप्त दोनों ट्रक भारतीय खाद्य निगम, गोदाम, साहेबगंज से चावल लोड कर प्रखण्ड स्तरीय गोदाम, बरहवा जाने के क्रम में पेट्रोल पम्प पर इंधन लेने हेतु ट्रक को रोका गया एवं गोदाम खुलने का प्रतिक्षा कर रहे थे, जिसे बरहरवा पुलिस द्वारा जबरन थाना ले जाया गया।

उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि पुलिस को दोनों ट्रकों पर लोड चावल से संबंधित वैध परिवहन चालान तथा वाहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही
	गया परन्तु दस्तावेज को देखे बगैर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरहरवा द्वारा प्राथमिकी दर्ज करा दिया गया है, जो सही नहीं है। विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि दोनों ट्रक चालकों को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची द्वारा जमानत मिल चुका है। उनके द्वारा ट्रक को व्यवसायिक बताते हुए कहा गया कि ट्रक जप्त रहने के कारण आर्थिक क्षति हो रही है। उनके द्वारा ट्रक को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी शंकर प्रसाद, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता, साहेबगंज द्वारा कारण पृच्छा दाखिल। उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि जप्त दोनों ट्रकों को बी0एस0डब्लू0सी0 गोदाम, साहेबगंज से चावल लोड कर करीब 04:00 बजे अपराह्न में बरहरवा प्रखण्ड में पहुँचाने हेतु प्रस्थान किया गया था, जो रात हो जाने के कारण पेट्रोल पम्प पर इंधन लेने के बाद गोदाम खुलने का प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बरहरवा पुलिस द्वारा बिना किसी दस्तावेज को देखे दोनों ट्रकों को थाना परिसर में लेते गये एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरहरवा द्वारा 07 आवश्यक वस्तु नियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करा दिया गया है, जिसे मुक्त किया जाय। अतएव उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कि बरहरवा थाना कांड संख्या 41/16 दिनांक 21.04.2016 में जप्त ट्रक संख्या WB57C-1595 एवं ट्रक संख्या WB93-0444 के द्वारा उस लदे 800 बोरा सरकारी चावल कालाबाजारी किया जा रहा था, जिसे 07 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6(ए) के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी, बरहरवा के उपस्थिति में ट्रक संख्या WB57C-1595 एवं ट्रक संख्या WB93-0444 को नीलामी कर प्राप्त राशि जिला नजारत में जमा कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। पुलिस अधीक्षक को आदेश की प्रति भेजें। लेखापित एवं संशोधित। जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, साहेबगंज। जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, साहेबगंज।	

Digitally signed by RAMNIWAS YADAV
Date: 2023.07.19 17:09:09 +05:30
Location: 192.168.29.219